न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम0 के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 580–दो/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.01.2005 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 121/2000–01 निगरानी

1– मुन्नीलाल 2– मुरली 3– रामबाबू
4– हरीवावू पुत्रगण नाथू उर्फ नाथूराम
बैश्य निवासी ग्राम लालपुरा हाल
सुरपतपुरा तहसील माधौगढ़
जिला जालोन उत्तरप्रदेश –––––आवेदकगण

विरूद्ध

1– जगनिवास सिंह पुत्र जसबंतसिंह
2– रामदास 3– हरगोविन्द पुत्रगण गंगाप्रसाद
जाति बैश्य तीनों ग्राम लालपुर
तहसील भिण्ड मध्य प्रदेश ––––अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री बी0एस0धाकड़)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 2 –11 –2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 121/2000–01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–1–2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम लालपुर स्थित आराजी क्रमांक 49 रकबा 1.63 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 12 पर आदेश दिनांक 12–8–97 से अनावेदक रामदास 3– हरगोविन्द पुत्रगण गंगाप्रसाद का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी,

लहार के समक्ष अपील क्रमांक 9/97-98 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 8-3-99 से अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन स्वीकार करते हुये प्रकरण गुणदोष पर निराकरण करने का निर्णय लिया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 85/98-99 में पारित आदेश दिनांक 11-12-99 से निगरानी अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 121/2000-01 दर्ज होने पर आदेश दिनांक 28-1-2005 निगरानी स्वीकार की गई एंव अनुविभागीय अधिकारी लहार का आदेश दिनांक 8-3-99 तथा अपर कलेक्टर भिण्ड का आदेश दिनांक 11-12-99 निरस्त कर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 12 पर ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 16.9.97 से किया गया नामान्तरण यथावत् रखा गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह सही है कि वादग्रस्त भूमि पर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 12 की प्रविष्टी दिनांक 12-8-97 पर ग्राम पंचायत लालपुरा के प्रस्ताव/ठहराव क्रमांक 9 दिनांक 16-9-97 के व्दारा नामान्तरण किया गया है। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया गया है वह दि. 14-7-97 को संपन्न हुआ है एवं रिकार्डेड भूमिस्वामी व्दारा भूमि विक्रय

की गई है। जैसाकि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 21.8.2005 में निष्कर्ष निकाला है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपीलकर्ताओं ने विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है एंव विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण देकर समाधान नहीं कराया है ।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 47 - अनुचित विलम्ब क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 47 सहपठित परिसीमा अधिनियम 1963 - धारा -5 - विलम्ब के लिये माफी - प्रत्येक दिन के विलम्ब का समुचित समधान नहीं कराया गया एंव विलम्ब का पर्याप्त हेतुक नहीं बताया - विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता।

और इन्हीं कारणों से विद्वान अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा पारित आदेश दिनांक 21.8.2005 में निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं पाये गये है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 121/2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-1-2005 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर